RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक १२] सोमवार, एप्रिल ४, २०१६/चैत्र १५, शके १९३८ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ४ अप्रैल २०१६ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XIV OF 2016.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १४, सन् २०१६ ।

महाराष्ट्र भू-राज्यस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

सन् १९६६ का महा. ४१ ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् १९६६ का महा. ४१ में धारा २९क की निविष्टि।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा २९ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :- सन् १९६६ का महा. ४१।

कतिपय सरकारी भूमियों के अधिभोग का रुपांतरण।

" **२९क.** धारा २०, ३१, ३५ तथा ३८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हूए भी, महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषिभूमि अधिनियम, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषिभूमि अधिनियम, १९५०, महाराष्ट्र परगणा तथा कुलकर्णी वतन (उत्सादन) अधिनियम, महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिये उपयोगी) उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र इनाम और नगर अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ महाराष्ट्र विलयित राज्यक्षेत्र विविध हस्तांतरण उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम/वतन उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) अधिनियम, १९६२, में परंतु जैसा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित विहित सक्षम राजस्व प्राधिकारी वर्ग-दो अधिभोगी पर या पट्टाभूमि अधिकारों पर, सरकार द्वारा अनुदत्त भूमि के अलग-अलग प्रवर्गों के संबंध में, जैसा कि विहित किया जाए, वर्ग-दो अधिभोगी पर या पट्टा भूमि अधिकारों पर अनुदत्त भूमि के ऐसे प्रवर्ग के अधिभोग के संबंधी किसी भूमि का रुपांतरण, ऐसे रुपांतरण अधिमूल्य के अदायगी पर और ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाने के पश्चात् और जैसा कि विहित किया जाये, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, और भूमियों के अलग-अलग प्रवर्गों के लिये अधिभोग रुपांतरण वर्ग-एक में कर सकेगी।"। सन् १९४८ का ६७। सन् १९५० का हैद्रा. अधिनियम क्र. २१। सन् १९५० का ६०। सन् १९५३ का ७०। सन् १९५५ का हैद्रा. अधिनियम क्र. ८। सन् १९५५ का २२। सन् १९५८ का ९९। सन् १९५९ का १। सन् १९६१ का महा. २७। सन् १९६२ का महा. ३५।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) की धारा २९, अधिभोगी वर्ग–एक, अधिभोगी वर्ग–दो तथा सरकारी पट्टेदार के रूप में राज्य से भूमि धारण करनेवाले व्यक्तियों के वर्गों का वर्णन करती है।

सरकारी भूमि सामान्यतया, अधिभोग वर्ग-दो या पट्टे पर विभिन्न व्यक्तियों या संगठनों को मंजूर की जाती है। महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ के अधीन अधिशेष भूमि के रुप में घोषित भूमि तथा विभिन्न अन्य अधिनियमों के अधीन मंजूर भूमि भी, अधिभोगी वर्ग-दो पर मंजूर की जाती है।

ऐसी भूमियों के उपभोक्ता के उपयोग के अंतरण या परिवर्तन के लिये, सुसंगत विधि के अधीन सक्षम राजस्व प्राधिकारी की अनुज्ञा आवश्यक है, जिसके लिए प्रायः बदले में **नजराणा** का भुगतान या अनर्जित आय आवश्यक होती है। इस आवश्यकता के कारण, ऐसी भूमि के अंतरण या विकास के समय, अधिभोगी या अनुदानग्राही को सक्षम राजस्व प्राधिकारी की अनुज्ञा लेनी होगी, और ऐसी भूमि के विकास हेतु ऐसी अनुज्ञा प्राप्त करने में किसी विलंब, या यथास्थिति, विलंबित अंतरण होता है।

राज्य के आर्थिक विकास के सम्पूर्ण संदर्भ में, "कारोबार करने में सरलता" को बढ़ावा देना आवश्यक है और इस दृष्टि से, समर्थ विधिक रचना का सृजन करना आवश्यक होगा, जिससे, नियमों द्वारा सरकार द्वारा विहित किये जा सके, ऐसे अधिभोगी वर्ग-दो या सरकारी पट्टेदारों को, ऐसे अधिमूल्य के भुगतान द्वारा और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, तथा सरकार, नियमों द्वारा विहित कर सके ऐसी प्रक्रियाओं के अनुसरण द्वारा, उनकी भूमि अधिभोगी वर्ग-एक धृति में रुपांतरित करने की अनुमति देगी, जिससे ऐसी भूमि के अंतरण या विकास की अनुवर्ती प्रकियाएँ, प्रत्येक ऐसे अंतरण या उपयोग के परिवर्तन के लिये, सक्षम राजस्व प्राधिकारी की अनुज्ञा की प्राप्ति की बाधा डाले बिना, शीघ्र तथा सुचारू बने।

अतः महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में एक नयी धारा २९ क की निविष्टि करना प्रस्तावित है, जो सरकार को, उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, समुचित कार्यवाही करने में समर्थ करेगी।

चूँकि, सरकारी भूमि, नागरी **साथ-ही-साथ** ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के लिये मंजूर की गई है या पट्टे पर दी गई है, कौनसे प्रवर्ग की सरकारी भूमि, भू-धृति के रुपांतरण के लिये विचार में ली जानी चाहिये, इसका विस्तृत में अभ्यास करने के लिये और इस संबंध में विस्तृत प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक सिद्धांत सूत्रबद्ध करने के लिये, जिसमें बाद में नियमों के आधार पर प्रारूप विरचित करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव (राजस्व) के अधीन, एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

२. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ३१ मार्च, २०१६।

एकनाथराव खडसे,
राजस्व मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबधी ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्नलिखित प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड २.—इस खण्ड के अधीन जिसका आशय महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में नयी धारा २९ क की निविष्टि चाहता है, जिसमें सरकार को, नियमों द्वारा,

(क) सरकार द्वारा मंजूर की गई भूमियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये सक्षम राजस्व प्राधिकारी जो वर्ग-दो अधिभोगी या पट्टाभूमि अधिकारों पर भूमि के ऐसे प्रवर्गों के अधिभोग के संबंधी किसी भूमि का रुपांतरण वर्ग-एक अधिभोगी में कर सकेगा ;

(ख) सरकार द्वारा मंजूर की गई भूमि के विभिन्न प्रवर्गों की वर्ग-दो अधिभोगी या पट्टा भूमि अधिकारों पर जिन्हें वर्ग-एक अधिभोगी में रूपांतरित किया जा सकेगा ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये भुगतान की जा सके ऐसा रूपांतरण अधिमूल्य तथा सरकारी भूमि के विभिन्न प्रवर्गों के लिये ऐसे रूपांतरण के लिये अनुसरण किये जाने के लिये निबंधनों तथा शर्तों और प्रक्रियाएँ विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप के है।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजुषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ४ अप्रैल २०१६।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.